

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
2 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2358/XXV-12(1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर, 2017

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र थापा,  
ग्राम एवं पोस्ट- मौहब्बेवाला  
जिला- देहरादून  
पिन-248002

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 9274 दिनांक 21 जुलाई, 2017 के क्रम में की गयी कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गयी है।

गृह अनुभाग के उक्त पत्र के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस कार्यालय पत्र संख्या- 2169 दिनांक 31 जुलाई, 2017 (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) द्वारा जाँच किये जाने एवं जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
04-सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat  
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2169 /XXV-23/2017

देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में गोर्खा समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-6, के पत्र संख्या 9274 दिनांक 21 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न श्री वीरेन्द्र थापा, पूर्व सदस्य, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, प्रबन्धक गोर्खाली सुधार सभा गढ़ी कैण्ट, देहरादून निवासी ग्राम एवं पत्रालय मौहब्बेवाला, जिला देहरादून के पत्र दिनांक 23.06.2017, की प्रति मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उल्लिखित पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जांच करवाते हुये जांच रिपोर्ट एक सप्ताह अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

*B. S. Rawat*  
( बी०एस० रावत )

अनुभाग अधिकारी,  
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

सेवागें

लोक सूचना अधिकारी / अनुसूचित  
निर्वाचन  
उत्सव थण्ड शासन

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्थात् सूचना प्राप्त करने के लिए

अहोदय  
कृपया आवेदन को सूचना के अधिकार के अर्थात्  
निम्न सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।

1- श्रीलाल पत्र जो दिनांक 21/09/2017 को उत्सव थण्ड शासन  
के ग्रह अनुभाग (6) द्वारा आपको प्रेषित है, आप इस  
की सभी सम्बन्ध कार्यवाही की कृपया करें।

दिनांक - 11/09/2017

संलग्न - 10 के का प्र. 1  
को - 37F 688325

श्री काकी जी  
कृपया उक्तानुसार आवेदन  
की सूचना उपलब्ध कराने

अवधीप  
वीरेंद्र चापा

शम्भु + पौष्ट मोहल्लेवावा  
जिला :- देहरादून  
PIN - 248002  
PH - 989 770485

Bs Rawat  
12 sep 2017  
S.O.

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-6

संख्या-9274 बीस-6/2017-06(39)2007 T.C.

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2017

अनु सचिव,  
समाज कल्याण विभाग/राजस्व विभाग/  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/  
निर्वाचन/सैनिक कल्याण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया जनपद उत्तरकाशी में गोर्खा समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र थापा, पूर्व सदस्य, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, प्रबन्धक, गोर्खाली सुधार सभा, गढ़ी कैण्ट, देहरादून के संलग्न पत्र दिनांक 23.6.2017, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद उत्तरकाशी में वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहे गोर्खा समुदाय की समस्याओं का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि गोर्खाली समुदाय की समस्याओं एवं मांग के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.2.2015, को पूर्वान्ह 11.30 बजे हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में कार्यवृत्त संख्या: 395/बीस-6/06(39)07 TC दिनांक 24.4.2015, आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया गया था। अतः श्री वीरेन्द्र थापा, पूर्व सदस्य, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, प्रबन्धक गोर्खाली सुधार सभा, गढ़ी कैण्ट, देहरादून का पत्र दिनांक 23.6.2017 की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर अपने से सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित एवं इस अनुभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(रणजीत सिंह)  
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

✓ प्रतिलिपि, श्री वीरेन्द्र थापा, पूर्व सदस्य, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, प्रबन्धक गोर्खाली सुधार सभा, गढ़ी कैण्ट, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 23.6.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)  
उप सचिव।